निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 पौष 1941 (श0)

(सं0 पटना 1365) पटना, सोमवार, 30 दिसम्बर 2019

गृह विभाग (विशेष शाखा)

अधिसूचना

24 दिसम्बर 2019

एस०ओ० 407, दिनांक 30 दिसम्बर 2019––गृह विभाग (विशेष शाखा) की अधिसूचना संख्या–एस०ओ०–6608, दिनांक–24.06.2019 के क्रम में तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम–1980 (सं०–65/1980) की धारा–3 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी जिला दण्डाधिकारी दिनांक–01.01.2020 से दिनांक–31.03.2020 तक अगले तीन महीने की अवधि के लिए उपर्युक्त धारा की उपधारा–(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में कर सकेंगे।

(सं० जे०/डी०ई०मिस०–105/1996–13486/सी०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ईश्वर चन्द्र सिन्हा,
सरकार के अपर सचिव।

24 दिसम्बर 2019

एस०ओ० 407, दिनांक 30 दिसम्बर 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद– 348 के खंड–3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० जे०/डी०ई०मिस०–105/1996–13486/सी०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ईश्वर चन्द्र सिन्हा,
सरकार के अपर सचिव।

The 24th December 2019

S.O. 407, dated 30th December 2019--In continuation of Home (Special) Department, Notification No.-6608 dated-24.06.2019 in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of the section-3 of the National Security Act, 1980 (No.-65/1980), the State Government has been pleased to direct that All District Magistrates of the state of Bihar shall exercise the powers conferred by sub section (2) of the said section within the local limits of their jurisdiction for a further period of three months from 01.01.2020 to 31.03.2020.

(J/DE-Misc-105/1996-13486/C)
By order of the Governor of Bihar
Ishwar Chandra Sinha,
Additional Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1365-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in